फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2023/158 बअनवान थानाराम बनाम वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
13/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील प्रार्थी श्री अमृत परिहार द्वारा दलील दी गई कि प्रकरण में मूल वाद में प्रतिवादीगण की तलबी हो चुकी है। इसके बावजूद भी आदिनांक तक उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही किया है। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तथा यदि तत्काल अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 3220/355 क्षेत्रफल 0.21 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में अप्रार्थीगण अपनी नाजायज हरकतों के द्वारा हस्तक्षेप अतिक्रमण कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि को खुर्द बुर्द कर देंगें। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रस्तुत सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद व उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिंदु प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि ग्राम बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 3220/355 रकबा 0.21 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार अप्रार्थीगण दिनांक 06.01.2014 को निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख, जो कानूनन अवैध व शून्य है, के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जबरन प्रवेश करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी द्वारा सार्वकालिक निषेधाज्ञा के साथ उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। आदेशिका दिनांक 19.06.2024 के अनुसार मूल वाद मे अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की तलबी होते हुये दिनांक 19.06.2024 के पश्चात कई मर्तबा समय अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया है जिससे अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि बीजापुर के खसरा नंबर 3220/355 रकबा 0.21 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में अनाधिकृत प्रवेश करने, भूमि को वेस्ट, डेमेज नहीं करने व प्रार्थी के भूमि सुधार कार्यों में दखलअंदाजी से रोका जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *